उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग–5
संख्या– /XX–5–2025–03(10)2024 टी0सी0–4
देहरादूनः दिनांकः 22 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 की धारा 48 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

समान नागरिक संहिता (संशोधन) नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता (संशोधन) नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 4 का संशोधन	2.	समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 के नियम 4 के उपनियम (3) में – (i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् – (क) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का प्रभार संभाल रहा अन्य कार्मिक/अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र हेतु या राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य कार्मिक/अधिकारी उप–निबंधक होगा। (ii) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् – (ड.) समस्त जनपदों में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 में निहित उपबंधों के अनुसार नियुक्त उप–निबंधक अपने अधिकारिता क्षेत्र में इस नियमावली के अध्याय–4 के अतिरिक्त अन्य उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु भी उप–निबंधक होंगे।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

..........2/–

संख्या–546/XX–5–2025–03(10)2024 टी0सी0–4, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

4– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।

5– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

6– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

7– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

8– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।

9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

10– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

11– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राजकीय गजट में प्रकाशित कर अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

12– विभागीय आदेश पुस्तिका/एन0आई0सी0।

(शैलेश बगौली)
सचिव।